न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 30/2023

श्री शम्भु पुत्र श्री रामसुख, जाति खटीक, निवासीग्राम भटियाणी,तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/नायब तहसीलदार नसीराबाद

.....**रेस्पोडेन्ट**

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री छीतरमल टेपण व श्री अरमान खान, वकील अपीलान्ट की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक–12.02.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2079 में श्री शम्भु पुत्र श्री रामसुख, जाति खटीक, निवासी ग्राम भटियाणी, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ने ग्राम भटियाणी के आराजी खसरा नम्बर 2846, 2850/3545 व 2842 किस्म बा0 3 में से 5.76 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से चने की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 235/2023 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 24.03.2023 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार विवादित भूमि से अतिक्रमी की बेदखली व शास्ति कायम की गई। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 24.03.2023 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड मंगवाया गया। पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन किया गया। बहस हेतु निश्चित दिन राजकीय अभिभाषक के अनुपस्थित रहने पर वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर दिनांक

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

17.03.2023 को प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया जाकर आगामी तारीख पेशी 24.03.2023 नियत की गई। अपीलान्ट ने नियत तिथि को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश कर दिनांक 13.10.1971 को नियमित आवंटन शिविर भटियाणी में खसरा संख्या 2568 मिन में से श्री रामसुख पुत्र श्री राजू, श्री कालू पुत्र श्री राजू व श्री राजू पुत्र श्री गोपाल जाति खटीक निवासी ग्राम भटियाणी को 17–17 बीघा आराजी अनुसूचित जाति का व्यक्ति एवं भूमिहीन कृषक होने के कारण आवंटित की गई। भू–संशोधन में इसके खसरा संख्या 2568 मिन व वर्तमान खसरा संख्या 2846, 2848, 2850/3545, 2842 व 2838/4525 बने। उक्त आराजियात पर अपीलान्ट के अतिरिक्त आवंटियों के वारिसान भी काबिज काश्त हैं। अपीलान्ट द्वारा जवाब में यह भी अंकित किया गया कि राजस्व शिविर दिनांक 12.11.2021 को आवंटियों के नाम नामान्तरकरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र पर निर्णय नहीं होने से कलक्टर अजमेर के समक्ष जनसुनवाई दिनांक 15.11.2022 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो जांच हेतु उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद को भेजा गया। उनके द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 04.01.2023 को अतिरिक्त कलक्टर, अजमेर को भिजवाई गई जिसकी प्रति भी प्रस्तुत की गई एवं सम्पूर्ण 51 बीघा भूमि पर फसल काश्त होने व आवंटन के आधार पर अपीलान्ट के नाम खातेदारी दर्ज करने का निवेदन किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी दस्तावेज का अवलोकन किये बिना एवं न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये बिना सरसरी तौर पर आनन फानन में साईक्लोस्टाईल रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए निर्णय पारित कर दिया जबकि अपीलान्ट ने विवादित आराजी बाबत अपने हक व अधिकार होने का पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया था जिसके आधार पर धारा 91 की कार्यवाही को समाप्त कर अपीलान्ट व अन्य के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। उनका आगे कथन है कि विवादित आराजी पर आवंटन से लेकर आज तक आवंटियों के वारिसान काबिज काश्त हैं, आराजी पर 10 लोगों के काबिज होने के बावजूद अन्य व्यक्तियों को कोई नोटिस जारी नहीं किया जाकर केवल एक व्यक्ति के विरूद्ध ही धारा 91 की कार्यवाही किया जाना किसी न किसी रूप में अपीलान्ट को हैरान व परेशान करने की नीयत को दर्शाता है। वकील अपीलान्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का अर्से दराज से कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं मौके पर उनका कच्चा/पक्का निर्माण हो रखा है, इसलिये केवल इसी आधार पर अपीलान्ट को बेदखल नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है बल्कि न्याय के सिद्धांतों के विपरीत भी है। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

हमने वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन शिविर भटियाणी में दिनांक 13.10.1971 को खसरा संख्या 2568 मिन में से श्री रामसुख पुत्र श्री राजू, श्री कालू पुत्र श्री राजू व श्री राजू पुत्र श्री गोपाल जाति खटीक निवासी ग्राम भटियाणी को 17–17 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। तत्पश्चात भू–संशोधन के दौरान आवंटन के आधार पर आंवटियों को गैर खातेदारी प्रदान की गई। आवंटी श्री राजू पुत्र गोपाल की मृत्यु होने पर उसके वारिसान के नाम विरासत का नामान्तरकरण संख्या 28 दिनांक 08.09.1977 को स्वीकृत किया गया। यह तथ्य उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद की रिपोर्ट दिनांक 04.01.2023 से भी प्रकट आये हैं। इससे यह तथ्य स्पष्ट रूप

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

से जाहिर होता है कि अपीलान्ट के पूर्वजों को विवादित आराजी का आवंटन किया गया था एवं एक आवंटी की मृत्यु उपरान्त उसकी विरासत का नामान्तकरण भी दर्ज किया गया है। भू–संशोधन के दौरान आवंटियों को गैर खातेदारी प्रदान करने के उपरान्त अपीलान्ट के पूर्वज व अपीलान्ट के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी का अंकन किया जाना चाहिये था किन्तु तत्समय ऐसा नहीं किया गया जो कि विधिनुकूल नहीं है। खातेदारी का अंकन राजस्व अभिलेख में क्यों नहीं किया गया, इस तथ्य की जांच किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित कथनों को भी आदेशिका अथवा निर्णय में सम्मिलित नहीं किया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश दिनांक 24.03.2023 निरस्त किया जाता है। अपील तहसीलदार/नायब तहसीलदार नसीराबाद को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि वे अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब व विवादित आराजी का उनके नाम खातेदारी का अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं किये जाने सम्बन्धी तथ्यों के परिपेक्ष्य में जांच कर अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 12.02.2024 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(लोकेश कुमार गौतम)
अपर कलेक्टर,
अजमेर